न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 18 / प्रा.पत्र / 2020 (GCMS No. 2020 / 00020)	19.02.2020	17.09.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

स्वर्गीय गोमा आ. भूरा जाति बैरवा (मृतक जर्ये कायम मुकाम) —
श्रीमती धापू पत्नी स्व. गोमा जाति बैरवा,
निवासी ग्राम बिशनपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी गोमा आ. भूरा जाति बैरवा निवासी ग्राम बिशनपुरा को किये गये भूमि आवंटन में से खसरा संख्या 1676 / 2098 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम बिशनपुरा आवंटन आदेश दिनांक 08.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,. 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 18 / 2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2020 / 00020 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीयां धापू को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस दिनांक 12.01.2022 इस नाम का आसामी यहां नहीं रहता है, की रिपोर्ट सहित अदम तामील लौट आया। तत्पश्चात तहसीलदार

जिला कलेक्टर; बून्दी

बून्दी से अप्रार्थियां धापू के वर्तमान निवास के बारे में रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बून्दी द्वारा दिनांक 24.07.24 को रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसके अनुसार गोमा पुत्र भुरा लाऔलाद दिनांक 13.09.1990 को फोत होना तथा जर्ये फोती नामान्तरकरण धापू पत्नी गोमा उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज होना बताया है। खसरा सं. 1676/2098 के समीपस्थ खातेदारों से मौके पर जानकारी की गयी, परन्तु पटवार हल्का अनुसार अप्रार्थियां धापू के बारे में कोई जानकारी नहीं बताई गई। साथ ही अन्य ग्रामवासियों से भी जानकारी की गयी परन्तु अप्रार्थियां धापू के बारे में पटवार मण्डल में किसी के पास भी जानकारी नहीं है। मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट ग्रामवासियों द्वारा धापू पत्नी गोमा के नाम का कोई भी व्यक्ति पटवार मण्डल के किसी भी ग्राम में निवास नहीं होना बताया गया। इस प्रकार तहसीलदार बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवंटी की एकमात्र वारिस धापू के निवास की सूचना ज्ञात नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी गोमा तथा उसकी वारिस धापू का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि आवंटी गोमा आ. भूरा जाति बैरवा निवासी गुढानाथावतान को मिसल संख्या 551 पर दिनांक 08.11.1975 को भूमि खसरा सं. 1676 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम गुढानाथावतान का आवंटन किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2072 – 2075 ग्राम बिशनपुरा के अनुसार भूमि खसरा संख्या 1676/2098 रकबा 0.7690 पर धापू पत्नी गोमा जाति बैरवा गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार बून्दी द्वारा उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत यहां भिजवाया गया है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रेषित प्रपत्र में बिन्दू संख्या 4(1) आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है, बिन्दू संख्या 4(2) आवंटी द्वारा आवंटन किश्त जमा नहीं की है एवं बिन्दू संख्या 4(3) आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है, अंकित है। प्रकरण के संलग्न हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.11.2019 में भी आवंटी व आवंटी के वारिसान का कब्जा नहीं होना तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के तथ्य अंकित है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

यहां उल्लेखनीय है कि अप्रार्थिया धापू पत्नी गोमा के वर्तमान निवास स्थान के बारे में तहसीलदार बून्दी से सूचना चाही गई। तहसीलदार बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी की मजमेआम रूबरू गवाहन तैयार मौका पर्चा के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थियां धापू पत्नी गोमा उक्त पटवार मण्डल के किसी भी ग्राम में निवास नहीं करती है तथा उसके वर्तमान निवास की समीपस्थ खातेदारान एवं अन्य ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अप्रार्थिया का नोटिस तामील करवाया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर खातेदार के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई की गई। अप्रार्थियां के पटवार मण्डल गुढानाथावतान के किसी भी गांव में निवास नहीं करने तथा उनके बारे में ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं होने से यह प्रमाणित होता है कि आवंटित भूमि पर गैर खातेदार धापू का कब्जा काश्त नहीं है। जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी तथा वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। आवंटी द्वारा आवंटन में रूचि नहीं लेने से कृषि प्रयोजनार्थ किया गया उक्त आवंटन निरर्थक हो जाता है, इस प्रकार उक्त भूमि आंवटन का उद्‌देश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी गोमा आ. भूरा जाति बैरवा निवासी गुढानाथावतान को मिसल संख्या 551 पर दिनांक 08.11.1975 को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 1676 रकबा 5 बीघा (नये खसरा नम्बर 1676/2098 रकबा 0.7690 हैक्टेयर) वाकेग्राम बिशनपुरा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बून्दी उक्त आराजी को अविलम्ब नियमानुसार कब्जे सरकार लेकर सिवायचक दर्ज रेकार्ड करने की कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद पूर्ति अभिलेखागार में भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 17.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी